न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण कं. /2015 निगरानी निगरानी 2054-II-15

1. श्रीमती योगेश देव पत्नी राजेन्द्र सिंह गौतम
2. श्रीमती मधु पत्नी नितिन जैन

निवासीगण माल गोदाम रोड मंदसौर तहसील व जिला मंदसौर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1. आशीष पोरवाल पुत्र सुखसागर
2. संजय पुत्र वीरेन्द्र जैन

निवासी जनता कॉलोनी मंदसौर तहसील व जिला मंदसौर

3. सौरभ पुत्र स्व. राजेन्द्र कुमार बाकलीवाल

कं. 1 व 3 निवासीगण माल गोदाम रोड मंदसौर तहं. व जिला मंदसौर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर द्वारा प्र.कं. 68/बी–121/14–15 में पारित आदेश दिनांक 16.06.2015 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक.....**निगरानी 2054–दो/2015**..... .....जिला.....**मंदसौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२१/९/१५	आवेदक की ओर से आज दिनांक को सूचना उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं, परन्तु न्यायहित में अदम पैरवी में खारिज न करते हुए याचिका में वर्णित तथ्यों पर विचार किया जा रहा है। अनावेदक कमांक 1,2,3 को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किए गए थे, परन्तु केवल अनावेदक कमांक 1 के अभिभाषक उपस्थित हैं, अतः उन्हें सुना जा रहा है तथा अनावेदक कमांक 2 तथा 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है। अनावेदक क. –1 के अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव की ओर से प्रस्तुत धारा 32 एंव स्थगन निरस्ती आवेदन तथा उनकी ओर से प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। प्रकरण में अधीनस्थ कार्यालय का अभिलेख भी प्राप्त हो चुका है। अतः संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया। 2/ अनावेदक अभिभाषक व्दारा स्थगन को निरस्त करने संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया। अनावेदक अभिभाषक का तर्क है कि आवेदकों ने इस न्यायालय में भू–खण्ड कमांक 5 जो कि शासकीय मार्ग होकर आमजनता व्दारा इस्तेमाल किया जा रहा है। भूखण्ड कमांक 5 शासन व्दारा सार्वजनिक रास्ते के उपयोग के लिये अधिग्रहण किया है। उस पर फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण अनावेदकगण सहित अन्य नागरिकों को आने जाने	

में परेशानी उत्पन्न हो रही है। अतः अनावेदकगणों को इस न्यायालय व्दारा पूर्व में दिया गया स्थगन आदेश निरस्त किया जाये। अनावेदक अभिभाषक ने धारा 32 के आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया कि निगरानी म0प्र0भू राजस्व संहिता के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके कारण वह प्रचलन योग्य नहीं है। आवेदक व्दारा जिस आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है उक्त आदेश शिकायत आवेदन पर कार्यवाही करते हुये पारित किया गया है इसलिये उक्त आदेश के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। आवेदक व्दारा अनावेदकों की अनुपस्थिति में एकपक्षीय स्थगन आदेश इस न्यायालय से प्राप्त कर लिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

3/ अनावेदक व्दारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संलग्न अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण का अवलोकन किया जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने उनके समक्ष प्रस्तुत शिकायती आवेदन पर कार्यवाही बी–121 मद में दर्ज करके की है जो विविध आवेदन के संबंध में कार्यवाही हेतु दर्ज होता है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक की ओर से प्रस्तुत शिकायत आवेदन आवेदक को उक्त मार्ग मुख्य नगरपालिका अधिकारी मंदसौर को सुरक्षित रखते हुये निर्माण कार्य नहीं किये जाने हेतु अनुमति नहीं देने जाने के निर्देश दिये गये थे। चूँकि आवेदक व्दारा शासकीय आम रास्ते पर किये जा रहे निर्माण कार्य को अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अन्य आदेश तक प्रतिबन्धित किया गया है, और आवेदक

को निर्माण कार्य को तत्काल बंद करने के आदेश दिये हैं, जो उचित प्रतीत होता है। अतः इस स्तर पर इस न्यायालय व्दारा जारी किये गये स्थगन का कोई औचित्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है। प्रकरण का अंतिम निराकरण अनुविभागीय अधिकारी व्दारा किया जाना है तथा आवेदकों को उनके समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर भी उपलब्ध है। आवेदक अभिभाषक का यह तर्क उचित है कि म0प्र0भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल के समक्ष अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों व्दारा म0प्र0भू राजस्व संहिता के अंतर्गत की गई कार्यवाही के विरूद्ध अपील/निगरानी की जा सकती है। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने म0प्र0भू राजस्व संहिता के अंतर्गत कोई आदेश पारित नहीं किया है। अतः अनावेदक व्दारा प्रस्तुत प्रचलनशीलता पर दिया गया आवेदन स्वीकार किया जाकर यह निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 6–7–15 को दिया गया ——— आदेश निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भेजा जाय। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0मथुरा खरे)
सदस्य